


३७७



प्रान्तिकरणी | छतरपुर | भू-२१/२०१७/२१३०

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

प्रकरण क्रमांक—

सन्-2017

- 1— रमकलिया बेवा डल्लू पाल आयु करीब— 75 साल,
- 2— सुखदेव तनय डल्लू पाल, आयु— करीब— 50 साल,
- 3— टिल्हू पाल तनय डल्लू पाल आयु— करीब— 47 साल,
- 4— बाबू पाल तनय डल्लू पाल आयु करीब— 44 वर्ष,
- 5— सियाराम तनय भवानीदीन पाल आयु करीब— 50 वर्ष,
- 6— गोविन्द तनय भवानीदीन आयु करीब— 45 साल,
- 7— जयराम तनय भवानीदीन आयु करीब— 43 साल,

समस्त निवासीगण ग्राम निधौली

तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म०प्र०

— अपीलार्थीगण

बनाम

- ✓— बिहारीलाल तनय बोडा गड़रिया आयु करीब—62 साल,
- 2— राजाराम तनय बोडा गड़रिया आयु करीब —62 वर्ष,
- ✓3— राजू तनय बोडा गड़रिया आयु करीब— 59 साल,
- ✓4— कल्लू तनय बोडा गड़रिया आयु करीब— 56 वर्ष,
- 5— लाला पुत्री भवानीदीन,
- 6— कस्तूरी पुत्री भवानीदीन गड़रिया,
- 7— चुनुवाद तनय कंधी गड़रिया (मृत) समस्त निवासी ग्राम

निधौली तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म०प्र०

— अनावेदकगण

क्रमशः—2— पर

3

(2)

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय  
अधिकारी महोदय लवकुशनगर/गौरिहार जिला  
छतरपुर म0प्र0 की राजस्व अपील प्रकरण  
क्रमांक- 110/अपील/2016-17 में पारित  
आदेश दिनांक- 13/06/2017 से दुखी  
होकर।

महोदय,

निगरानीकर्तागण सादर निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत करते हैं कि:-

- निगरानीकर्तागण सादर निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत करते हैं कि:-
- 1- यह कि भूमि खसरा क्रमांक- 332/1/2, 356/6/2, रकवा क्रमशः-  
5.00ए0, 5.00ए0 स्थित मौजा ग्राम निधौली तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0 की  
भूमि आवेदकगण और अनावेदकगणों की संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायकी संपत्ति  
है। जो संयुक्त परिवार की आय से अर्जित करके बोड़ा तनय कंधी के नाम दर्ज करायी  
गई थी। जिस पर सभी संयुक्त परिवार के सदस्य काबिज होकर खेती करते रहे हैं  
और आज भी कर रहे हैं।
- 2- यह कि बोड़ा की मृत्यु पश्चात् अनावेदकगणों की सहमति से आवेदकगणों  
और अनावेदकगणों के नाम नामान्तरण पंजी क्रमांक-23 में पारित आदेश दिनांक-  
21/04/82 को सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा वारसाना हक पर नामान्तरण किया गया  
था। जिस पर अनावेदकगणों ने सहमति के हस्ताक्षर किए थे। इस लिए अनावेदकगणों  
को नामान्तरण के संबंध में जिस दिन पंजी पर नामान्तरण दर्ज किया गया था उसी  
समय जानकारी हो चुकी थी।

- 3- यह कि उपरोक्त भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण क्रमांक-1,2,3,4 के नाम  
राजस्व अभिलेख में दर्ज है। किन्तु आवेदकगण एवं अनावेदकगण क्रमांक-1 लगायत-4

क्रमांक-3 से

— ३ —

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर**

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2190

रमकलिया      विरूद्ध      बिहारीलाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | प्रकारों एवं अभिभाषकों<br>आदि के हस्ताक्षर     |
|------------------|---|--|
| 18-03-2019       | <p>1. प्रकरण प्रस्तुत। उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर/गौरिहार जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 110/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 13-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p> | <p>लग्न<br/>(आर.के.जैन) १८/०३/१९<br/>सदस्य</p> |